सं0-33/2017/5871/62-2-2017-2/3(11)/2017

प्रेषक,

राम किंकर मिश्र,
संयुक्त सचिव,
उ0 प्र0 शासन।

सेवा में,

अधिशासी अभियंता,
लघु सिंचाई संबंधित प्रखण्ड,

लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल अनुभाग-2 **लखनऊ: दिनांक: 28 अगस्त,2017**

विषय- **चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के अन्तर्गत अनुदान सं0-83 (एस0सी0एस0पी) के अधीन जिला योजना के अन्तर्गत गहरी बोरिंग की योजना में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष अवशेष धनराशि उपलब्ध कराये जाने के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई विभाग के पत्र सं0-1021/ल0 सिं0/बजट-scsp/tsp/2017-18, दिनांक 09.8.2017 एवं वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 03.8.2017 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान सं0-83 (एस0सी0एस0पी) के अधीन जिला योजना के अन्तर्गत गहरी बोरिंग की योजना में प्राविधानित धनराशि रू0-623.64 लाख के सापेक्ष लेखानुदान के माध्यम से प्रथम पॉच माहों हेतु शासनादेश सं0-954/62-2-2017-2/3(11)/2017, दिनांक 03.5.2017 द्वारा अवमुक्त की गई धनराशि रू0-259.85 लाख को समायोजित करते हुए अवशेष धनराशि रू0-184.28 लाख (रूपया एक करोड चौरासी लाख अठाइस हजार मात्र) को संलग्न विवरणानुसार श्री राज्यपाल आपके निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 03.05.2017 में उल्लिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते है।

उक्त के अतिरिक्त यह भी निर्देशित किया जाता है कि जनपदों की वास्तविक आवश्यकता का आंकलन करते हुए निर्धारित भौतिक लक्ष्यों के सापेक्ष नियमानुसार बजट प्राविधान की सीमा के अधीन वित्तीय स्वीकृतियां जारी की जायेगी। साथ ही वर्ष 2017-18 की जिला योजनाओं के लिए जनपदवार परिव्यय निर्धारित करने के उपरांत जारी की गयी स्वीकृतियों को आवंटित परिव्यय में समायोजित करा लिया जाय। तदनुसार यथा आवश्यकता संबंधित जनपदों की जिला योजना समिति का कार्योत्तर अनुमोदन भी प्राप्त करना सुनिश्चित करा लिया जायेगा।

2- **तत्सम्बन्धित व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के अन्तर्गत अनुदान संख्या-83 के अधीन "लेखा शीर्षक-2702-लघु सिंचाई-80-सामान्य-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-04-पठारी क्षेत्रों की लघु सिंचाई योजना का निर्माण-27-सब्सिडी" के नामें डाला जायेगा।**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017,दिनांक 03.8.2017 के क्रम में जारी किये जा रहे है।

संलग्नक:-यथोक्त।

भवदीय,
(राम किंकर मिश्र)
संयुक्त सचिव।

सं0-33/2017/5871(1)/62-2-2017, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)।/।। उ0 प्र0 इलाहाबाद।
2- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) ।/।। उ0 प्र0 इलाहाबाद।
3- मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई विभाग, उ0 प्र0, लखनऊ।
4- समस्त अधीक्षण अभियंता, लघु सिंचाई वृत्त।
5- सम्बन्धित जिलाधिकारी।
6- सम्बन्धित मुख्य विकास अधिकारी/अतिरिक्त जिला अधिकारी (विकास)/जिला विकास अधिकारी।
7- सम्बन्धित सहायक अभियंता, लघु सिंचाई विभाग।
8- सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी।
9- नियोजन अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।
10- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन।
11- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन।
12- बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग/कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग, उ0 प्र0 शासन।
13- निदेशक, सूचना, उत्तर प्रदेश।
14- एन0आई0सी0 की प्रति।
15- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(संजय शुक्ला)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश सं0-33/2017/5871/62-2-2017-2/3(11)/2017, दिनांक 28 अगस्त,2017 का संलग्नक।

चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के अन्तर्गत अनुदान संख्या-83 के अधीन "लेखा शीर्षक-2702-लघु सिंचाई-80-सामान्य-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-04-पठारी क्षेत्रों की लघु सिंचाई योजना का निर्माण-27-सब्सिडी" में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष अवशेष अवमुक्त की जाने वाली धनराशि का विवरण।

(लाख रू0 में)

क्र0 सं0	जनपद	गत वर्ष में नियोजन विभाग द्वारा सूचित परिव्यय	पूर्व में बजट प्राविधान	संशोधित बजट प्राविधान	पूर्व में अवमुक्त धनराशि	अवशेष अवमुक्त की जाने वाली धनराशि
1	2	3	4	5	6	7
1	मथुरा	3.56	3.56	3.56	1.76	1.78
2	मैनपुरी	1.78	1.78	1.78	1.78	0.00
3	बरेली	8.90	8.90	8.90	5.34	3.56
4	बदायूँ	17.80	17.80	17.80	10.68	7.12
5	कानपुर नगर	3.56	3.56	3.56	1.78	1.78
6	कानपुर देहात	3.56	3.56	3.56	1.78	1.78
7	इटावा	3.56	3.56	3.56	1.78	1.78
8	औरैया	44.50	44.50	44.50	26.70	17.80
9	फर्रूखाबाद	17.80	17.80	17.80	26.70	17.80
10	कन्नौज	8.90	8.90	8.90	5.34	3.56
11	इलाहाबाद	17.80	17.80	17.80	10.68	7.12
12	कौशाम्बी	37.40	37.40	37.40	21.36	16.04
13	फतेहपुर	17.80	17.80	17.80	10.68	7.12
14	झाँसी	35;60	35;60	35;60	21.36	14.24
15	जालौन	3.56	3.56	3.56	1.78	1.78
16	ललितपुर	200.25	200.25	200.25	117.45	82.80
17	चित्रकुट	17.80	17.80	17.80	8.90	8.90
	अतिरिक्त प्राइज़		179.51	178.87		
	योग-	444.13	623.64	623.00	259.85	184.28

(रू0 एक करोड चौरासी लाख अठाइस हजार मात्र)

(संजय शुक्ला)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।